न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/51/2025	2025/228	03-06-2025	25-08-2025

1—कोकला स्त्री श्री मामचन्द जाति गुर्जर उम्र करीब 60 साल

2—रामसिंह पुत्र स्व० कुन्दन, जाति गुर्जर उम्र करीब 50 साल

3—रतन सिंह पुत्र स्व० कुन्दन, जाति गुर्जर उम्र करीब 45 साल

4—हरज्ञानी पुत्री स्व० कुन्दन, जाति गुर्जर उम्र करीब 40 साल, वारिस काबिज जायदाद श्रीमती चम्पा स्त्री कुन्दर गुर्जर, निवासीयान ग्राम रामगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज०

—अपीलान्ट

बनाम

1—अकबरी पत्नि शादी पुत्रवधु अर्जुन जाति मेव निवासी ग्राम कालाखेड़ा तहंसील फिरोजपुर झिरका जिला मुँह मेवात प्रांत हरियाणा, हाल निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर

2—जमशीदा पुत्री शादी पौत्री अर्जुन, पत्नि श्योराम, जाति मेव, निवासी ग्राम पाडला शाहपुर तहसील फिरोजपुर झिरका जिला मुँह मेवात प्रांत हरियाणा, हाल निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर

3—तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज०

4—नब्बा पुत्र अर्जुन जाति मेव निवासी ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज० मृतक

4/1—जरूरबी पत्नि स्व० नब्बा उम्र करीब 70 साल,

4/2—इस्लाम पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 55 साल,

4/3— खुर्शद पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 52 साल,

4/4— खुशीमल पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 50 साल,

4/5—सम्मल उर्फ समयदीन पुत्र स्व० नब्बा उम्र करीब 45 साल,

4/6—जफी उर्फ जफरीना पत्नि स्व० कमरू पुत्रवधु स्व० नब्बा उम्र करीब 50 साल

4/7—अस्मीना पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 21 साल,

4/8—राहुनी पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 19 साल,

4/9—जलसाना पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 17 साल,

4/10—रिजवा पुत्री स्व० कमरू पौत्री स्व० नब्बा आयु करीब 15 साल,

4/9 व 4/10 नाबालिगान जरिये सरपरस्त माताखुद जफी उर्फ जफरीना

4/11— इस्लामी पुत्री स्व० नब्बा आयु करीब 40 साल,

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

4/12– खुर्शीदन पुत्री स्व० नब्बा, आयु करीब . साल, जातियान मेव निवासीयान ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर

5–मकूली पुत्री अर्जुन जाति मेव निवासी ग्राम नांगल तहसील व जिला अलवर राज०

6–नल्ली पुत्री अर्जन, जाति मेव, निवासी ग्राम भजीट तहसील अलवर जिला अलवर राज0

7–हुस्सो पुत्री अर्जुन जाति मेव निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला रेस्पाडेन्टान अलवर राज०

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल नंबर 180 वाके ग्राम सरहेटा निर्णय दिनांक 09.05.2016 तहसीलदार रामगढ़

उपस्थितः–

01–लक्ष्मण सिंह पोसवाल

03–वीरेन्द्र तायल

02–आस मौहम्मद खान

–वकील अपीलान्ट

–वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 2

–वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगा0 7

–:निर्णयः–

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.2016 नामन्तकरण संख्या 180 स्वीकार किया गया से व्यतिथ होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ (अलवर) के निर्णय दिनांक 09–05–2016 की अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी 26–10–2016 को हुई पटवारी हलका के माध्यम से हुई। जिस पर अपीलाण्टान ने दिनांक 27–10–2016 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ में जाकर जानकारी की तो मालूम हुआ कि दिनांक 09–05–2016 को तहसीलदार रामगढ द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिस पर नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 27–10–2016 को पेश किया और नकल प्राप्त की जिसे अपने वकील साहब को दिखाया तो उन्होने कहा कि अपील करनी पडेगी जिस पर खर्चे का इंतजाम किया और अपील तैयार कराकर आज बिना देरी के निर्णय की जानकारी की तारीख से अपील अंदर अवधि पेश की जा रही है दिनांक 09–05–2016 से दिनांक 26–10–2016 तक का समय अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी नही होन के कारण व्यतीत हुआ है जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिए जाने योग्य है जिस हेतू प्रार्थना पत्र दफा 05 म्याद कानूनी अलग से पेश है।

न्यायालय तहसीलदार रामगढ (अलवर) के निर्णय के खिलाफ यह अपील, न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है ।

नामांतकरण संख्या 180 में दर्ज हाल आराजी खसरा नंबर 127 रकबा 0.45 हैक्टर वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ में स्थित है जिसे रैस्पाडैण्ट नब्बा पुत्र अर्जुन मेव से

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलाण्ट कोकला ने 2/3 हिस्सा व बाकी अपीलाण्ट की माता चम्पा ने 1/3 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15–04–2005 प्रतिफल अदा कर कय किया था और कब्जा प्राप्त किया था जिस पर बरोज खरीद से अपीलाण्टान आज तक विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते आ रहे है। केता कोकला व चम्पा के नाम बयनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 31 दिनांक 20–06–2005 को स्वीकार होकर जमाबंदी वगैराह में भी केता के नाम खातेदारी का अंकन आ गया । वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–2074 में भी अपीलाण्टान के नाम खातेदारी का अंकन है। उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 127 रकबा 0.45 हैक्टर के बोनाफाईड परचेजर व काबिज काश्तकार है और उनका नाम बयनामा के बाद बनी समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियो आदि में खातेदार की हैसियत से चला आने एवं मौके पर काबिज होने के कारण प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति है जिनकी ओर से यह अपील पेश की जा रही है। जिसकी इजाजत के लिए दफा 96 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पाडैण्ट अकबरी व जमशीदा ने रैस्पाडैण्ट नब्बा आदि के खिलाफ ग्राम पंचायत खिलौरा दिनांक 25–08–1984 इंतकाल नंबर 180 के खिलाफ एक अपील उप खण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष पेश की थी कि जिस अपील का निर्णय दिनांक 03–05–2012 को किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ़ को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 09–05–2016 को पारित कर उपरोक्तानुसार आदेश गलत व बेजा तौर पर पारित किया गया है कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जो कि निम्न आधारो पर स्वीकार होने तथा निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है।

आलोच्य निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ विधि विरूद्ध, बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है ।

विवादित हाल आराजी खसरा नंबर 127 रकबा 0.45 हैक्टर वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ पर कब्जा काश्त दिनांक 15–04–2005 से अपीलाण्टान का चला आ रहा है और आज तक के समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वगैराह में अपीलाण्टान का नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी में भी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी का अमल हो रहा है और उक्त खरीदशुदा आराजी का अपीलाण्टान ने बाहमी सहमति से तकसीम करा लिया है व खाते अलग अलग करा लिए है जिसके तहत आराजी खसरा नंबर 430/127 रकबा 0.30 हैक्टर अपीलाण्ट कोकला के नाम खाता संख्या 21 में आ गया एवम आराजी खसरा नंबर 431/127 रकबा 0.15 हैक्टर केता चम्पा स्त्री कुन्दनअपीलांट संख्या 2 लागायत 4 की माता के नाम खाता संख्या 31 में आ गया है। चम्पा का निधन हो चुका है जिसके अपीलांट संख्या 2 लागायत 4 वारिसान है जिनके नाम विरासत का नामांतकरण स्वीकार हो गया है जिनका वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार की हैसियत से अंकन आ गया है तथा वर्तमान में इसी अनुसार मौके पर अपीलाण्टान काबिज रहकर कार्य काश्त कर रहे है जिनको अरसा करीब 11 साल हो चुका है। इतने पुराने इंतकाल को अपील से समाप्त किए जाने का कोई कानूनी प्रावधान भी नही है। 11 साल के खातेदारी काश्तकारी कब्जेदारी के राजस्व रिकार्ड को चैलेंज भी नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाने योग्य है, स्वीकार फरमाई जावे ।

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी साबिक व वर्तमान में अपीलाण्ट के नाम का खातेदारी का अमल चला आ रहा है। उसके बावजूद भी रैस्पाडैण्ट संख्या एक दो ने कार्यवाही नामांतकरण तहसीलदार रामगढ में अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया और

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अधिनस्थ न्यायालय ने भी राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही करते हुए अपीलाण्ट को पक्षकार बनाने के आदेश नही दिए और नाही अपीलाण्ट को नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलवाया, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार जमाबन्दी वगैराह में अपीलाण्ट के नाम का अंकन खातेदार की हैसियत से अंकित है और जो इन्द्राज दिनांक 15–04–2005 से चला आ रहा है उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए यह आलोच्य निर्णय पारित कर दिया जो स्पष्टरूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना है और ऐसा आदेश विधिक प्रक्रिया के खिलाफ एवं मौका व कब्जे एवं गत रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे ।

अपीलाण्ट नेकनियत से बहैसियत केता काबिज कृषक खातेदार करीब 11 साल से विवादित भूमि पर कार्य काश्त कर रहे है। जिनके खरीद के बयनामें व उसके आधार पर हुए इंतकाल खातेदारी एवं जमाबन्दी के अंकन को निरस्त करने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो थी और नाही अधिनस्थ न्यायालय को उसे निरस्त करने का आधार किसी कानूनी प्रावधान में है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है निरस्त किया जावे ।

नब्बा रैस्पाडैण्ट से अपीलाण्ट कोकला व चम्पा ने विवादित आराजी जरे बय देकर कय की और उस बयनामा का नियमानुसार इंतकाल संख्या 31 स्वीकार होकर खातेदारी का अमल राजस्व रिकार्ड में आ गया, जिसको अर्सा करीब 11 साल हो गए। इतनी लम्बी अवधि के उपरांत बिना बयनामा को चैलेंज किए नब्बा रैस्पाडैण्ट के बेचने के अधिकार की बाबत कोई नब्बा रैस्पाडैण्ट का हकीकी आपत्ति करता है या अपील आदि करता है तो उसका यदि हक होता है तो वह नब्बा रैस्पाडैण्ट की अन्य सम्पत्ति से दिलाया जा सकता है

रैस्पाडैण्ट असल अकबरी व जमशीदा को बिना अपीलाण्ट को पक्षकार बनाए कार्यवाही नामांतकरण करने का भी अधिकार नही था इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नुक्स अदम इस्मतेमाल में खारिज किए जाने योग्य है जिसे अब खारिज फरमाया जावे

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 09–05–2016 तहसीलदार रामगढ (अलवर) बाबत प्रकरण संख्या 44/2016 बाबत आराजी खसरा नंबर हाल 127 रकबा 0.45 हैक्टर (430/127 रकबा 0.30 हैक्टर व 431/127 रकबा 0.15 हैक्टर) वाके ग्राम सरहेटा तहसील मकबूजा अपीलाण्टान की सीमा तक मंसूख फरमाया जावे और जो अंकन विवादित खसरा नंबर हाल 430/127 रकबा 0.30 हैक्टर व 431/127 रकबा 0.15 हैक्टर व नोट जमाबन्दी वर्तमान संवत 2071 से 2074 ग्राम सरहेटा की में अपीलाण्ट के खाता संख्या 21 व 31 में लाल स्याही से विशेष खाना में लगाया गया है, उसे कलमजन करने के आदेश तहसीलदार रामगढ के नाम जारी फरमाया जावे । अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों के पारित नजीरे DNJ2025(1)Revenue page no 599, RRT2012(1)page no 374, RRD1984 page no 3(A) पेश किया गया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के विद्वान वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में बहस में कथन किया गया कि ग्राम पंचायत खिलोरा में दिनांक 25.08.1984 इंतकाल संख्या 180 रेस्पोडेण्ट नब्बा के नाम दर्ज कर तस्दीक किया गया। जिसकी ग्राम पंचायत खिलोरा ने मृतक अर्जुन के विधिक वारिसान की बगैर जांच किये उक्त नामांतकरण संख्या 180 तस्दीक स्वीकार किया गया जिसकी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने उक्त विवादित नामांतकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के समक्ष पेश की गई जिस अपील पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण को तहसीलदार रामगढ़ को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया गया था। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 09.05.2016 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 180 पर शजरे में मात्र नब्बा को ही मृतक अर्जुन का वारिस दर्ज किया गया है जो गलत प्रतीत होता है। नामांतकरण संख्या 180 पर मृतक अर्जुन के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

समस्त वारिसान नब्बा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/5, मकूली, नब्बी और हुस्सो पुत्रियान अर्जुन 3/5 व अकबरी पत्नी शादी व जमशीदा पुत्री शादी समभाग 1/5 के नाम अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये जो मृतक अर्जुन के समस्त वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेण्ट नब्बा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आराजी खसरा नंबर हाल 127 रकबा 0.45 हैक्टर (430/127 रकबा 0.30 हैक्टर व 431/127 रकबा 0.15 हैक्टर) अपीलाण्ट को गलत बेचान किया गया है। इसीलिये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट नब्बा पुत्र अर्जुन से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04.05.1989 को विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 127 रकबा 0.45 हैक्टर (430/127 रकबा 0.30 हैक्टर व 431/127 रकबा 0.15 हैक्टर) का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम सरहेटा क्रय किया गया। इंतकालाधीन आराजी से रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आलोच्य नामांतकरण से अपीलाण्ट के हक–हकूक प्रभावित होते है। उक्त इंतकालाधीन आराजी में अपीलाण्ट के हित निहित है। इसीलिये अपीलाण्ट को न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट के उपरोक्त कथन न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है एवं इसके बाद प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2016 को पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 26.10.2016 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई जिस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 27.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ में जाकर दिनांक 09.05.2016 को पारित निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया जिसकी नकल दिनांक 27.10.2016 का प्राप्त कर वकील साहब को दिखाया तो उन्होनें अपील पेश करने हेतु कहा गया। अपीलाण्ट ने बिना देरी के निर्णय की जानकारी तारीख से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। दिनांक 09.05.2016 से दिनांक 26.10.2016 तक समय अपीलाण्ट नेकनियति युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने पर काबिल माफी तथा मुजरा दिये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा लगभग पांच माह के विलंब से न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलाण्ट का अपील में हित निहित होने पर एवं माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2016 के द्वारा प्रकरण संख्या 44/2016 का प्रचलन को स्थगित फरमाया जाकर असल रेस्पोडेन्ट को पाबंद फरमाया जावे कि विवादित हाल आराजी खसरा नंबर हाल 127 रकबा 0.45 हैक्टर (430/127 रकबा 0.30 हैक्टर व 431/127 रकबा 0.15 हैक्टर) वाके ग्राम सरेहटा तहसील रामगढ़ के 1/3 हिस्सा को किसी कदर बेदखल कर कब्जा न करे क्योकि उक्त विवादित आराजी खातेदार नब्बा से जरिये बयनामा दिनांक 15.04.2005 को प्रतिफल अदा कर क्रय की गई है। तब से आदिनांक तक उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज है एवं तब से उक्त विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार हूं।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

ग्राम पंचायत खिलोरा ने मृतक अर्जुन के वारिसान का नामांतकरण संख्या 180 दिनांक 25.08.1984 को नब्बा पुत्र अर्जुन के पक्ष में तस्दीक किया गया जिसमें ग्राम पंचायत खिलोरा द्वारा मृतक अर्जुन के विधिवत वारिसान की जांच नहीं की जाकर नामांतकरण संख्या 180 तस्दीक किया गया। जिसकी अपील रेस्पोडेण्ट अकबरी व जमशीदा ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय में नामांतकरण संख्या 178 दिनांक 28.10.2010 निर्णय ग्राम पंचायत पिपरोली ने मृतक अर्जुन के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण दर्ज व तस्दीक किया गया एवं इसी प्रकार नामांतकरण संख्या 180 ग्राम पंचायत खिलोरा द्वारा मृतक अर्जुन के वारिसान के रूप में केवल नब्बा के पक्ष में दर्ज व तस्दीक किया गया जिसकी ग्राम पंचायत खिलोरा ने विधिवत जांच व सुनवाई नहीं की जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा दिनांक 03.05.2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगढ़ को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश पर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर मृतक अर्जुन के विधिक वारिसान की जांच कर दिनांक 09.05.2016 को आदेश पारित किया कि मृतक अर्जुन के वारिसान नब्बा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/5, मकूली, नब्बी और हुस्सो पुत्रियान अर्जुन हिस्सा 3/5 व अकबरी पत्नी शादी व जमशीदा पुत्री शादी समभाग हिस्सा 1/5 के नाम अंकन किये जाने का आदेश पारित किया। नब्बा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आराजी का हिस्सा बेचान किया गया, गलत है। जहां क्रेता ने मुकदमे वाली संपत्ति में केवल अविभाजित हिस्सा खरीदा था, वह संपत्ति में विक्रेता के हिस्से से अधिक का मालिक नहीं हो सकता था और न ही वह पूरी संपत्ति के संबंध में कब्जे का दावा कर सकता था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 4177/2024 GOLAM LALCHAND V/S NANDU LAL SHAW @ NAND LAL KESHRI @ NANDU LAL BAYES & ORS., AIR 2009 SUPREME COURT 2735, 2009 AIR SCW 4365 and Transfer of property Act Para no. 44. Transfer by one co-owner के द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया, जो इस अपील में पूर्ण रूप से चस्पा होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2016 में इस न्यायालय को किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 09.05.2016 नामांतकरण संख्या 180 वाके ग्राम सरहेटा तहसील रामगढ़ को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज.)